

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
अटरु (बारां)

लीला नागर

प्रार्थी

बनाम राजस्थान सरकार (भूधारक) जयें तहसीलदार अटरु
अप्रार्थी

विषय :- राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू. अधि. 1956

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अन्ताक पटवार मण्डल अन्ताक
तहसील अटरु जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2076 खाता संख्या 971 में खातेदार/गैरखातेदार के रूप
में मेरा नाम/जाति लीला कुमारी दर्ज है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक करवाना
चाहता हूँ।

अतः इस खाता संख्या में मेरा नाम/जाति लीला कुमारी के स्थान पर लीला नागर
दर्ज/दुरस्त करने की कृपा करें।

पहचानकर्ता

पटवारी/ग्रामसेवक/ग्राम रोजगारसहा./
सरपंच/वार्ड पंच/अन्य

लीला
प्रार्थी

- :: रिपोर्ट हल्का पटवारी :: -

पटवारी हल्का अन्ताक के ग्राम अन्ताक की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2076 के
खाता संख्या 11 में प्रार्थी खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति लीला कुमारी दर्ज है। जो
सम्मानजनक नहीं है अतः इस खाता संख्या में प्रार्थी का नाम/जाति लीला कुमारी के स्थान पर
लीला नागर करना उचित होगा।

22/3/20
18/3/20

हस्ताक्षर

पटवारी हल्का

- :: रिपोर्ट तहसीलदार अटरु :: -

पटवारी हल्का अन्ताक की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम अन्ताक की चालू जमाबन्दी
सम्वत् 2076 के खाता संख्या 11 में प्रार्थी खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति लीला कुमारी
दर्ज है। जो सम्मानजनक नहीं है अतः इस खाता संख्या में प्रार्थी का नाम/जाति लीला कुमारी
के स्थान पर लीला नागर करना उचित होगा।

तहसीलदार अटरु (राज.)

क्रमांक :

3/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरु जिला बारां (राज.)

दिनांक : 18/3/20

प्रार्थी श्री लीला नागर :: निर्णय :: -

प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम अन्ताक पटवार मण्डल अन्ताक तहसील अटरु जिला बारां
की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2076 के खाता संख्या 971 में खातेदार/गैरखातेदार का
नाम/जाति लीला कुमारी अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से लीला कुमारी
अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जाँच पटवारी अन्ताक से करवाने पर पटवारी ने लीला कुमारी
के बजाय लीला नागर करना उचित बताया। तहसीलदार अटरु ने
भी उक्त खाते में लीला कुमारी के बजाय लीला नागर करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं
नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू. अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम अन्ताक के खाता संख्या 971
में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति लीला कुमारी के स्थान पर सम्मानजनक रूप
से लीला नागर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार अटरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में
दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
अटरु जिला बारां

